(२५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी0एम0शर्मा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0/3311/2018/रीवा/भू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-05-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 904/अपील/2013-14

मुनीसिंह तनय स्व0 रामसिंह
निवासी ग्राम चौखडा, थाना जनेह, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा, (म0प्र0)

--- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

वीरेन्द्र कुमार सिंह तनय श्री राधिकासिंह
निवासी ग्राम 26 दिकुसा नया कटरा, इलाहाबाद (उ0प्र0)
हाल मुकाम मकान नं0 1385 सेक्टर 29 नोएडा गौतमबुद्ध नगर,(उ0प्र0)
द्वारा आम मुख्त्यार अभिषेकसिंह तनय स्व0 अमर सिंह
निवासी फ्लेट नं0 1 तृतीय तल,रमागोविंद पैलेस सिरमौर चौराहा, मुख्य पोस्ट आंफिस के सामने, रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

---गैरनिगरानीकर्ता

श्री देवेन्द्रसिंह, अधिवक्ता- आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अधिवक्ता- अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25.5.19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-05-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत चौखडा के द्वारा आवेदक के पक्ष में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 416/1 रकवा 16.37 ए0 ग्राम चौखडा, तहसील त्यौथर का सहमति के आधार पर नामांतरण पंजी क्रं0 11 पर बंटवारा नामांतरण आदेश 25-08-2000 पारित किया गया, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि संहिता की धारा 178 के आधीन सिर्फ सहखातेदारों के मध्य ही खाता विभाजन हो सकता है । इस बटवारा नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्यौथर द्वारा दिनांक 30-08-14 को आदेश पारित कर इस आधार पर अपील अस्वीकार की गई कि नामांतरण पंजी पर अनावेदक के हस्ताक्षर बने हुए है । ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा निपटाने की शक्तियां प्रदान की गई है इसलिये बंटवारा आदेश उचित है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक वीरेन्द्र कुमार द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का अवलोकन करते हुए विस्तृत आदेश दिनांक 01-05-18 पारित करते हुए उल्लिखित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा मुनिसिंह के पक्ष में वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 416/1(क) रकवा 16.37 ए0 स्थित ग्राम चौखडा तह0 त्यौथर का सहमति के आधार पर बंटवारा नामांतरण आदेश पारित

करने का अधिकार नहीं था क्यों कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत सिर्फ सहखातेदारों के मध्य ही विभाजन किय जा सकता है । निगरानीकर्ता न तो गैर-निगरानीकर्ता के परिवार का सदस्य है और ना ही उनके सजरा खानदान का सदस्य है, वादग्रस्त भूमि उनकी पैत्रक भूमि है । निगरानीकर्ता के हक में गैर-निगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अंतरण भी नहीं किया है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का बटवारा नामांतरण आदेश अधिकार विहीन होना पाया जाकर अपर आयुक्त द्वारा उसे निरस्त किया गया तथा द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-05-18 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3- मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये । निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क है कि उभय पक्ष की सहमति से विभाजन जरिये नामांतरण पंजी पर किया गया है ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिये पंजी पर किया गया आदेश वैध है, उनका यह भी तर्क है कि गैर-निगराकार के पंजी क्रं0 11 पर विधिवत हस्ताक्षर बने हुए है तथा नामांतरण तत्यमय आपसी सहमति के अनुसार प्रमाणित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश को निरस्त करने में कानूनी भूल की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे ।

4- अनावेदक के द्वारा मुख्य तर्क यह किया कि गैर खातेदारों के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर बटवारा नामांतरण किया जाना अवैधानिक है । संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नियम बनाये गये है उनका पालन नहीं किया गया है

ऐसे अविधिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जावे ।

5- मेरे द्वारा उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालयों के प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम चौखडा, तहसील त्यौथर, जिला रीवा की विवादित नामांतरण, पंजी क्रं0 11 दिनांक 25-08-2000 के द्वारा सर्वे क्रं0 416/1(क) तथा सर्वे क्रं0 151/2(क) एवं 356/2(क) का परस्पर स्थानांतरण पारस्परिक बटवारे के नाम पर किया गया है इस पंजी पर आवेदक व अनावेदक के हस्ताक्षर बने हुए है, इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसमें अनूविभागीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष दिया कि नामांकन पंजी पर अनावेदक के हस्ताक्षर बने हुए है इसलिये अपील निरस्त की जाती है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । इस प्रकरण से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक है और यदि उक्त पंजी पर अनावेदक के हस्ताक्षर को सत्य भी मान लिया जावे तब भी नामांतरण पंजी पर इस प्रकार भूमि विनिमय नियमानुसार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि संहिता की धारा 178 खाते के विभाजन के संबंध में उपबंध करती है तथा इसके लिये विधिवत नियम बनाये गये है । धारा 178 के अंतर्गत खाते का विभाजन खाते मे दर्ज सहखातेदारों के मध्य ही विभाजन किया जा सकता है अन्य भूमियों से विभाजन नहीं हो सकता है । बटवारा आवेदन एवं इश्तहार पंजी में संलग्न नहीं है । ऐसी स्थिति में दो विभिन्न भूमि स्वामियों के मध्य परस्पर विनिमय किया जाना संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बनाये

गये प्रावधानों के पूर्णत विपरीत है इसलिये नामांतरण पंजी में अनावेदक के हस्ताक्षर हो जाने से सरपंच ग्राम पंचायत को नामांकन करने के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है, ऐसे अवैध आदेश को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । लिहाजा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-05-18 में किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता प्रतीत नहीं होने से तथा हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से उसे स्थिर रखा जाता है । फलस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(बी0एम0शर्मा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर